# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 17/2018/(2018/00017) जिला–नागौर**

तहसीलदार, मेड़ता जिला नागौर ।

–––अपीलार्थी

## बनाम

जे.के. व्हाईट सीमेन्ट गोटन, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

––– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 20–03–2013
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 68/13
बउनवान जे.के.व्हाईट सीमेट गोटन बनाम तहसीलदार

———

उपस्थित– 1. श्री बी.एस.शेखावत अभिभाषक अपीलार्थी

## निर्णय

दिनांकः– 03–09–2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायलय में प्रत्यर्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम गोटन के खसरा नम्बर 1919 रकबा 150 बीघा भूमि औद्योगिक लीज डीड हेतु दिनांक 11–1–1982 को जे.के.व्हाईट सीमेन्ट को मिली लेकिन हाल ही मे मेड़ता तहसील में नवीन सेटजलमेंट होने पर नये खसरे कायम हुए जो नये खसरा नम्बर 1576, 1577, 1578, 1579 कायम हुए, पुराने नक्शा शीट से नये नक्शा शीट में भिन्नता है तथा नवीन सेटलमेंट के दौरान जे.के.व्हाईट सीमेन्ट की 1.47 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी है इसलिए उसको दुरूस्त किया जावे। इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हलका से रिपोर्ट प्राप्त कर क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–3–2013 पारित कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी (तहसीलदार) द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी बावजूद

तामील अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी जिला कलक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 18–7–2017 को तहसील का निरीक्षण किया गया तो तत्कालीन तहसीलदार द्वारा किये गये उक्त आदेश की जानकारी हुई जिसे मियाद अधिनियम में प्रावधान अनुसार मियाद अवधि में शुमार करना न्यायोचित है। अपीलार्थी ने जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है व ना ही अपील पेश करने में अपीलार्थी की कोई बदनियती रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट (गुणावगुण) पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का अधिकार केवल मात्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत भूमि अभिलेख अधिकारी से कलक्टर अभिप्रेत है और इसमें अपर या सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी सम्मिलित है तथा दिनांक 20–3–2013 को उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता का पद रिक्त था। तहसीलदार मेड़ता के पास कार्यवाहक पदभार था जिसमें उन्हें केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी पद के प्रशासनिक कार्य सौप रखे थे लेकिन तत्कालीन तहसीलदार मेड़ता ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर बिना सरकारी आदेश के उक्त प्रकरण में सुनवाई कर विधिविरूद्ध आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नवीन भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर उक्त खसरा नम्बरान बाबत जानकारी प्राप्त कर जैसी भौगोलिक स्थिति थी उसी अनुसार अलग–अलग खसरा कायम किये व उसी अनुसार भूमि की किस्म दर्ज की तथा मौके पर खसरा नम्बर 1578 गैरमुमकिन गौचर भूमि थी इसलिए गौचर दर्ज हुई लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने गोचर भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होते हुए भी अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार कर कानूनी भूल की है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सेटलमेन्ट अधिकारी व ग्राम पंचायत को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ

न्यायालय को भूमि कम या ज्यादा होने बाबत भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट मंगवाई जानी थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–3–2013 पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर सुनवाई कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की सुनी एक पक्षीय बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा –136 का क्षैत्र व्यापक नहीं होकर सीमित है जिसके द्वारा रेकार्ड अथवा दस्तावेज में कोई त्रुटि नजर आये तो उसे दोनों पक्ष की सहमति से दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार, मेड़ता के पास उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता का कार्यवाहक का पदभार था। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी को ही सुनवाई का क्षैत्राधिकार है। चूंकि तहसीलदार मेड़ता के पास उपखण्ड अधिकारी मेड़ता का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण तहसीलदार न्यायिक प्रकरणों में सुनवाई नहीं कर सकता है वह केवल उपखण्ड अधिकारी के पद के प्रशासनिक कार्य करने के ही अधिकार है। तहसीलदार ने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। साथ ही सेटलमेंट अधिकारी एवं ग्राम पंचायत को बिना सुने एवं पक्षकार बनाए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा केवल पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–3–2013 पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–3–2013 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 68/2013 बउनवान जे.के.व्हाईट सीमेन्ट गोटन बनाम तहसीलदार, मेड़ता विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

**(लक्ष्मी नारायण मीणा)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 13:37:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: